भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 717
दिनांक 25.07.2023/ 03 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान

†717. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों के चालान काटने हेतु दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गृह मंत्रालय ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लाल बत्ती की अपेक्षा लाल बत्ती से दूर खड़े वाहनों, विशेषकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के समीप पेड़ों के पीछे खड़े वाहनों, जो अस्पतालों में आने वाले मरीजों और जन प्रतिनिधियों के आवासों पर आने वाले आगंतुकों के लिए बहुत असुविधा पैदा करते हैं, का चालान करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): यातायात से संबंधित अपराधों का निपटान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किया जाता है।

(ख) और (ग): ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

******